न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 54/2004 जी.सी.एम.नम्बर 2004/00004

1. सांवता (मृतक दौराने अपील)
1/1 मूलचन्द पुत्र स्वं सांवता
1/2 फूलचन्द पुत्र स्व. सांवता
1/3 शिवचरण पुत्र सांवता
1/4 धापू पत्नि सांवता (मृतक दौराने अपील)
1/5 शिव कुमार पुत्र डूंगरसी पौत्र स्व. सांवता
1/6 कृष्ण कुमार पुत्र डूंगरसी पौत्र स्व. सांवता
1/7 कमली पत्नी डूंगरसी पुत्रवधु स्व. सांवता
समस्त जातियान मीणा निवासीयान ग्राम पीपलबाई तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
2. सूज्या पुत्र गोविन्दा (मृतक दौराने अपील)
2/1 काली पुत्री सूज्या पत्नी फैलीराम जाति मीणा निवासी ग्राम उरीवाल तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. कल्याण पुत्र गोविन्दा (मृतक दौराने अपील)
3/1 सुरेश पुत्र लालू पौत्र कल्याण
3/2 छोटा पुत्र लालू पौत्र कल्याण
3/3 कमला पत्नि लालू पुत्रवधु कल्याण
3/4 सीताराम पुत्र कल्याण
3/5 रमेश पुत्र कल्याण
4. गोति पुत्र गोविन्दा
समस्त जातियान मीणा निवासीयान ग्राम पीपलबाई तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जयपुर।
2. महादेव पुत्र भूरा (मृतक दौराने अपील)
2/1. सीताराम
2/2. ओंकार
2/3 जगदीश पुत्रान महादेव जाति मीणा निवासीयान ग्राम पीपलबाई तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
2/4 भौरी पुत्री महादेव पत्नि मंगल जाति मीणा निवासी ग्राम शिवदासपुरा तहसील बाकसू जिला जयपुर
3. कल्याण पुत्र भूरा (मृतक दौराने अपील)
3/1. बाबू
3/2. जयनारायण
3/3 फूलचन्द पुत्रान कल्याण जाति मीणा निवासीयान ग्राम पीपलबाई तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
4. आनन्द प्रकाश पुत्र नानगराम जाति बैरवा निवासी ग्राम पीपलबाई तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. श्रीमति प्रेम पुत्री नानगराम पत्नि बी. एल. बैरवा जाति बैरवा निवासी सांवता भवन बजाज नगर जयपुर।
6. श्रीमति लक्ष्मी पुत्री नानगराम पत्नि महेन्द्र कुमार जाति बैरवा निवासी ढाओवारा भवन बजाज नगर जयपुर।
7. श्रीमति इन्द्रा देवी पुत्री नानगराम पत्नि दिनेश जाति बैरवा निवासी खजाने वालो का रास्ता बैरवा बस्ती जयपुर।
8. श्रीमति संतोष देवी पुत्री नानगराम पत्नि हरी सिंह निवासी डबाल स्टोरी बिल्डिंग फिल्म कॉलोनी नई दिल्ली।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या82/96 उनवानी सावंता बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2004 के विरूद्ध

उपस्थित—

1. श्री श्रीकांत मीणा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री सुबोध जैन वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/4 एवं 3/1 से 3/3 व 4 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—31.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 82/96उनवानी सावंता बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2004 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.05.2004 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील को स्वीकार फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.05.2004 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया किग्राम पीपलाबाई तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित विवादित भूमी का मूल खसरा न. 56 रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा था जो लक्ष्मी नारायण पुत्र गोपाल बख्श जागीरदार की भूमी थी जिसके बताये अनुसार मिन अपीलांट के पिता गोविन्दा भूमी पर संवत 1990 से काश्त करते थे, खसरा गिरदावरी चौसाला 2009 से 2012 मे गोविन्दा का नाम खुद काश्त मे दर्ज है। संवत 2015 में भूमी बन्दोबस्त के दौरान उक्त भूमी के 2 टुकडे क्रमश खसरा न. 56/464 और खसरा न. 32 हुये जिसमे से खसरा न. 56/464 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी गोविन्दा के नाम दर्ज हुयी और शेष 18 बीघा 4 बिस्वा को अवैध रुप से मकबूजा ठिकाना लगानी दर्ज कर दिया गया जिसके खिलाफ गोविन्दा ने ए. एस. ओ. बन्दोबस्त के समक्ष

राजस्व अपील आयुक्त
जयपुर

उर्जदारी पेश करी ततपश्चात बन्दोबस्त बन्द हो जाने के कारण उर्जदारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर को ट्रांसफर हुयी जिस कार्यवाही मे भूरा ओर जोधा विरोधी पक्षकार थे जहाँ मुकदमा न 21/1965 के अर्न्तगत दिनांक 29.11.1965 के दिन उक्त उर्जदारी में निर्णय दिया जाकर खसरा न. 56 लक्ष्मी नारायण जागीरदार की खातेदारी व गोविन्दा की शिकमीयत में दर्ज किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा पारित हुये जिसके खिलाफआज तक कोई अपील नही हुयी इसलिए यह निर्णय विवादित भूमी के संबंध में एक अन्तिम न्यायिक निर्णय है उक्त निर्णय दिनांक 29.11.1965 राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु आदेश भी तहसीलदार बस्सी ने मिसल संख्या 1416/1971 दिनांक 31.12.1975 द्वारा पटवारी हल्का को जारी कर दिया था ततपश्चात भी पालना तो नही हुयी बल्की राजस्व कर्मचारियों ने गलत तरीके से राजस्व रिकार्ड मे सिवाय चक अंकन दर्ज कर दिया जिसका फायदा अवैध रुप से रेस्पोन्डेण्टस ने उठाया परिणाम मे महादेव व कल्याण ने उठाकर 8 बीघा भूमी का नियमन अपने नाम करवा लिया जिस नियमन को न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर ने अपील संख्या 542/1970 मे पारित किये गये निर्णय दिनांक 29.06.1976 के अनुसार खारिज कर दिया जो निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तक बहाल रहा। इसी प्रकार रेस्पोन्डेण्ट संख्या 4 के पिता नानगराम ने फर्जी तरीके से तहसीलदार से मिलकर 6 बीघा भूमी अपने नाम से अलॉटमेन्ट करवा ली जबकी यह अलॉटमेन्ट भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 29.11.1965 के खिलाफ था और जो प्रारम्भतः शून्य था, नानगराम के मरने पर उसके उत्तराधिकारी यहॉ माननीय न्यायालय के समक्ष अपील में पक्षकार है । अपीलाण्टस ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया था कि जमाबन्दी मे सिवाय चक नाम से जो अंकन है उसे हटाकर न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.11.1965 की पालना मे अंकन दर्ज कर लक्ष्मीनारायण की खातेदारी व गोविन्दा की शिकमीयत दुरुस्त कर दी जाये लेकिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए यह माना है कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत जमाबन्दी मे अंकित इन्द्राज मे हुयी त्रुटी को दुरुस्त करने के अधिकार है जबकी खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते तो इस विषय मे मिन अपीलाण्टस का निवेदन है कि उन्होनें भी खातेदारी अधिकार नही मांगे केवल निर्णय दिनांक 29.11.1965 की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे टीवश सिवाय चक अंकन को दुरुस्त किये जाने का अनुतोष मांगा था जो कि धारा 136 के तहत ग्रांट किया जा सकता है क्योकि आदेश दिनांक 29.11.1965 के निर्णय को रिकार्ड मे दर्ज नही करना लेखनीय भूल है जिसे धारा 136 मे दुरुस्त नही कर जो मनमाना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलान्ट ने अपने धारा 136 के अन्तर्गत विवादित भूमि मे अपने खातेदारी अधिकार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने की प्रार्थना नहीं की थी अपितु निर्णय दिनांक 29.11.65 की पालना मे उसके अनुसार सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती करने की प्रार्थना की थी । फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे खातेदारी दुरुस्त करने का कथन किया है जो तथ्यों के प्रतिकूल है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में माना है कि दिनांक 29.11.65 की पालना मे तहसीलदार ने दिनांक 31.12.75 को खातेदारी दर्ज करने के आदेश नही दिये बल्कि शिकमी दर्ज करने के आदेश दिये थे। अपीलान्ट की प्रार्थना आवेदन धारा 136 में प्रार्थीगण को शिकमी दर्ज रिकार्ड मे दुरुस्ती कीप्रार्थना की थी। फिर भी जानबूझकर प्रार्थना पत्र खारिज कर भारी गलती की गई । इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलधीन निर्णय दिनांक 07.05.2004 को निरस्त किया जावे ।

5. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के मुतालिक विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी मे नियमित वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दायर किया हुआ है जो विचाराधीन है। नियमति वाद के चलते समरी प्रोसेडिंग 136 एल.आर.एक्ट कानूनन काबिल पेश ही नही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया है कि राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा–136 के अंतर्गत पक्षकारान् के हक–हकूक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकार तय नहीं किये जा सकते हैं। नियमित वाद के माध्यम से ही अधिकार तय किये जा सकते हैं। ऐसे में अपीलाधीन आदेश अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी उचित एवं विधिसम्मत हैं जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 स्वीकार किया जाकर प्रमाणित दस्तावेजात् रिकॉर्ड पर लिये जाते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है प्रकरण में मूल विवाद ग्राम पीपलाबाई तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित खसरा नं 32 में से 6 बीघा 4 बीस्वा भूमि के अलॉटमेन्ट अपीलांट के पिता नानगराम के पक्ष में दिनांक 24.06.1970 के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 10.08.1977 को लेकर है। आवंटन पश्चात् सर्वप्रथम पटवारी हल्का द्वारा नामा0 संख्या 24 भरकर प्रस्तुत किया गया जो कि ग्राम पंचायत खिजुरिया द्वारा सर्वसम्मति से अलॉटी का मौके पर कब्जा ना होने की स्थिति में खारिज फरमा दिया गया। इसके पश्चात् वर्ष 1977 में आवंटी नानगराम के पक्ष में पुनः बिना जॉच के आधार पर नामा0 संख्या 37 दिनांक 10.08.1977 गैर खातेदारी का तहसीलदार बस्सी द्वारा स्वीकार किया गया। जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा नामा0 संख्या 24 आदेश दिनांक 16.10.74 के खारिज होने के पश्चात् पुनः उसी आधार पर 3 वर्ष बाद तस्दीक नामा0 संख्या 37 दिनांक 10.08.1977 को अवैध मानते हुये खारिज किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि खसरा नं 32 में से 6 बीघा 4 बीस्वा के आवंटन के समय मौके पर भूमि खाली नहीं थी एवं आवंटन के लिए उपलब्ध भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को अपीलांट के पिता नानगराम के पक्ष में दिनांक 24.06.1970 को आवंटन किया जाना अवैध एवं प्रारम्भ से ही शून्य था। उक्त विवादग्रस्त आराजी सिवायचक भूमि थी जिसे गलत तरीके से आवंटित किया गया है एवं पक्षकारान् के मध्य कब्जे के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पक्षकारान् के मध्य सक्षम न्यायालय में नियमित वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के मध्य हक–हकूक व अधिकार तय होने हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुरका अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2004 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है किग्राम पीपलाबाई तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित खसरा नं. 32 में से 6 बीघा 4 बीस्वा भूमि पुनः राजहित में सिवायचक दर्ज की जावे।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।